2011:CGHC:10676
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर**

**दांडिक अपील क्रमांक : 506 सन् 1995**

---

अपीलकर्ता : डॉ. ठाकुर कुमार विश्वास

**बनाम**

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से : श्री वैभव ए. गोवर्धन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री आशीष गुप्ता, पैनल अधिवक्ता

---

**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील**

**//निर्णय//**

**(दिनांक 14.03.2011)**

**1.** यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग शिविर बेमेतरा न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 292/1992 में दिनांक 22.03.1995 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा उसे सात वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

**2.** अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 23.01.1992 को लगभग दोपहर 12:30 बजे अभियोक्त्री (पीडब्ल्यू-4), जो लगभग 18 वर्ष की विवाहित महिला है, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसी दिन लगभग प्रातः 11:00 बजे जब वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के चिकित्सालय में गई थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे उपचार प्रदान करने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 24.02.1992 को अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**3.** अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह कहा कि उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष की ओर से भी अपने मामले के समर्थन में झुकराम (बचाव साक्षी–1) तथा किशनलाल वर्मा (बचाव साक्षी–2) का परीक्षण कराया गया।

**4.** पक्षकारों की सुनवाई उपरांत, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को उपर्युक्त वर्णित अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया गया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

**5.** अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण झूठे फँसाव का है तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध संपूर्ण कहानी एक अन्य चिकित्सक की सहायता से गढ़ी गई है, जिसकी चिकित्सालय अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय के सामने स्थित थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ पर्दे के पीछे बलात्कार किया, जबकि वह पर्दा पारदर्शी था और अन्य मरीज भी निकट ही बैठे हुए थे। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि यद्यपि अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, परंतु जिस चिकित्सक ने उसका परीक्षण किया था, उसे न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अभियोक्त्री के स्वयं के कथन के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि उसके पति तथा 2–3 अन्य व्यक्ति उसके निकट उपस्थित थे, तथापि उसने कोई शोरगुल नहीं मचाया। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह अत्यंत असंभाव्य कहानी प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के पति एवं 2–3 अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उसके साथ बलात्कार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6.** इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय विधि के अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई

त्रुटि अथवा दोष नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि रोगी एवं चिकित्सक के मध्य संबंध अत्यंत विश्वासपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण माने जाते हैं तथा चिकित्सक को अभियोक्त्री की असहाय अवस्था का लाभ उठाकर उसका शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है।

**7.** मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी सम्मिलित है, अवलोकन किया।

**8.** अभियोक्त्री (अभियोजन साक्षी–4) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलकर्ता को जानती थी, जो ग्राम में चिकित्सक के एवं कार्य करता था था। उसने यह भी कहा कि जब वह अभियुक्त/अपीलकर्ता से उपचार ले रही थी, तब उसे उसके द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया तथा इसके पश्चात उसे बेहतर उपचार हेतु अगले दिन पुनः आने के लिए कहा गया। उसके अनुसार, घटना के दिन जब वह लगभग प्रातः 10:30 बजे अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय गई, उस समय चिकित्सालय में एक कम्पाउंडर एवं एक अन्य मरीज उपस्थित थे। उसने यह कथन किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे मेज पर लेटने के लिए कहा तथा तत्पश्चात उसने स्टेथोस्कोप से उसकी जांच की। उसके अनुसार, इसके पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके पति को बाजार से दवा लाने हेतु पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) दिया और फिर उससे उसके ब्लाउज के बटन खोलने के लिए कहा तथा उसके स्तनों को दबाया। उसने यह भी कहा कि इसके बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसकी साड़ी ऊपर उठाकर अपने गुप्तांग को बाहर निकाला और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसे उसके गुप्तांग में प्रविष्ट कर दिया। उसने यह कथन किया कि जैसे ही अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा यह कृत्य किया गया, वह खड़ी हो गई, तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे धक्का दिया और वह अपनी चिकित्सालय से बाहर आ गया। उसने यह भी कहा कि वह स्वयं भी अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय से बाहर आ गई और उस समय तक उसका पति भी वहाँ उपस्थित था। तत्पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उससे पुनः इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा, जिसे उसने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि "आप डॉक्टर नहीं बल्कि बलात्कारी हैं।" इसके पश्चात उसने संपूर्ण घटना अपने पति अभय राम (अभियोजन साक्षी–5), कम्पाउंडर विद्या भूषण तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बताई। उसने आगे यह भी कहा कि इसके बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उससे रोने-चिल्लाने से मना किया और कहा कि अन्यथा उसकी बदनामी हो जाएगी, किन्तु उसने उसे स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि वह शिक़ायत दर्ज कराने जा रही है। उसने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे किसी अन्य डॉक्टर से उपचार कराने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने उपचार हेतु डॉ. ताम्रकार के पास गई और उन्हें संपूर्ण घटना बताई, जिस पर डॉ. ताम्रकार ने उसे शिक़ायत दर्ज कराने की सलाह दी। तदनुसार, उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.प्र.-2) दर्ज कराई गई। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे कुछ स्त्री-रोग संबंधी समस्या थी, जिसके कारण वह अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभय राम (अभियोजन साक्षी–5), जो अभियोक्त्री का पति है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के दिन जब वह और उसकी पत्नी अभियुक्त/अपीलकर्ता की

चिकित्सालय गए थे, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता ने दवा लेने हेतु पर्चा दिया था। लगभग आधे घंटे बाद जब यह साक्षी वापस लौटा, तब उसने देखा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता उसकी पत्नी को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी यह कहते हुए इंजेक्शन लगवाने से इंकार कर रही थी कि "आप डॉक्टर नहीं बल्कि बलात्कारी हैं।" इसके पश्चात उसकी पत्नी ने उसे संपूर्ण घटना बताई। उसने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि घटना के दिन अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय जाने से पूर्व वे लोग डॉ. गुप्ता की चिकित्सालय गए थे और उन्हीं के द्वारा किसी भी डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि दवा खरीदने के पश्चात जब वह पुनः अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय लौटा, तब उसकी कम्पाउंडर वहाँ बैठा हुआ था, जिसने उसे यह कहते हुए प्रतीक्षा करने को कहा था कि उसकी पत्नी की जांच अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा की जा रही है। कुछ समय पश्चात उसने अभियुक्त/अपीलकर्ता तथा अभियोक्त्री को चिकित्सालय से बाहर आते हुए देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्या भूषण (अभियोजन साक्षी–1), जो अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय में कम्पाउंडर है, ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना के दिन अभियुक्त/अपीलकर्ता अभियोक्त्री को पर्दे के पीछे ले गया था, जो पर्दा पारदर्शी था। इसके पश्चात अभियोक्त्री उक्त पर्दे के पीछे से बाहर आई और अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता सभी को यह कह रहा था कि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है और अभियोक्त्री झूठ बोल रही है। उसने यह स्वीकार किया कि

अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय मुख्य सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर स्थित है और ऐसा स्थान है जहाँ किसी प्रकार का बलात्कार किया जाना संभव नहीं है। उसने आगे यह भी कहा कि पर्दे का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि एक ओर से दूसरी ओर की गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। उसके अनुसार, अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मशीन की सहायता से अभियोक्त्री को उत्तेजित किया था। उसने आगे यह भी कहा कि अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया गया है, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 6 में उसने यह कहा कि डॉ. गुप्ता भी साजा में ही चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ अभियुक्त/अपीलकर्ता व्यवसाय कर रहा है, तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता की प्रैक्टिस अत्यंत अच्छी होने के कारण अन्य चिकित्सक उससे ईर्ष्या करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बेरेन्द्र कुमार (अभियोजन साक्षी–2) वह व्यक्ति है, जो घटना के समय चिकित्सालय में उपस्थित था। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि जब वह अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय के बाहर खड़ा था, तब उसने अभियोक्त्री को आरोप लगाते हुए देखा अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगा रही थी, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता यह कह रहा था कि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। उसने आगे यह भी कहा कि घटना से लगभग 10–15 मिनट पूर्व अभियोक्त्री अपने पति के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय में बैठी हुई थी तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तत्पश्चात अचानक अभियोक्त्री खड़ी

हुई और अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाने लगी, जबकि उस समय अभियुक्त/अपीलकर्ता अभियोक्त्री को उपचार प्रदान करने की तैयारी कर रहा था।

मुकेश कुमार साहू (अभियोजन साक्षी–3) भी वह व्यक्ति है, जो घटना के समय चिकित्सालय में उपस्थित था। उसने यह भी कहा कि पर्दे का विभाजन बाहर से दिखाई देता था। उसने आगे यह भी कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय में कोई आपत्तिजनक या गलत कार्य नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि चूँकि अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय के आसपास काफी आवागमन एवं भीड़-भाड़ रहती है, इसलिए घटना-स्थल पर ऐसी किसी घटना का घटित होना संभव नहीं है। गोपाल शर्मा (अभियोजन साक्षी–6), जिसकी दुकान अभियुक्त/अपीलकर्ता की दुकान के समीप स्थित है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि शोर सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब लोग यह बात कर रहे थे कि किसी ने बलात्कार किया है। उसने आगे यह भी कहा कि डॉ. गुप्ता, जिनकी चिकित्सालय उसकी दुकान के पास है, ने एक बार उससे कहा था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और इसलिए अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय को खाली कराने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। संतराम (अभियोजन साक्षी–7) अभियोक्त्री की पेटीकोट तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता के अंडरवियर की जप्ती का साक्षी है, जो क्रमशः प्रदर्श पत्र पी -3 एवं पी -4 के अंतर्गत जप्त किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दीनदयाल (अभियोजन साक्षी–8) ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह एक मोची है और प्रायः प्रतिष्ठित चिकित्सकों आदि के घरों में जाया करता है। उसने यह भी कहा कि घटना के दिन वह उसने यह भी कहा कि वह डॉ. गुप्ता के घर गया था, जहाँ डॉ. कन्नोजे तथा चोरभट्टी से आए एक अन्य चिकित्सक भी उपस्थित थे और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक महिला पहले ही आ चुकी है और अब अभियुक्त/अपीलकर्ता को गाँव से बाहर किया जाना चाहिए। उसने आगे यह भी कहा कि अभियोक्त्री तथा उसका पति डॉ. गुप्ता की चिकित्सालय में उपस्थित थे और तत्पश्चात सभी चिकित्सक ने उन्हें अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध शिक़ायत दर्ज कराने के लिए कहा। इसके बाद अभियोक्त्री तथा उसके पति ने शिक़ायत दर्ज कराने के लिए उन्हें आश्वासन दिया। उसने यह भी कहा कि अभियोक्त्री तथा उसके पति को कुछ धनराशि दी गई थी और उसके पश्चात अभियोक्त्री तथा उसका पति अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर गए। उसने आगे यह भी कहा कि डॉ. गुप्ता की चिकित्सालय से अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय से बाहर आने के बाद अभियोक्त्री एवं उसके पति द्वारा शिक़ायत दर्ज कराई गई। डॉ. आर. के. ताम्रकार (अभियोजन साक्षी–9), जिन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता का चिकित्सकीय परीक्षण किया तथा प्रदर्श पत्र पी -7 के अंतर्गत अपनी शिक़ायत प्रस्तुत की, ने यह कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता यौन संबंध स्थापित करने में सक्षम है। भगवती प्रसाद (अभियोजन साक्षी–10), पटवारी, ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पत्र पी -12) तैयार किया। ए.एस.आई. जय सिंह धुर्वे (अभियोजन साक्षी–11) वह साक्षी है, जिसने विवेचना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का आंशिक कार्य किया। ए.एस.आई. आर. पी. त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी–12) विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

**9.** साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक अत्यंत असंभाव्य कहानी प्रस्तुत की गई है। अभियोजन के अनुसार, अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा ऐसे कक्ष में बलात्कार किया गया, जो पर्दे द्वारा सरलता रूप से विभाजित था तथा पर्दे के दूसरी ओर से भीतर की गतिविधियाँ देखी जा सकती थीं। साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि कथित घटना 2–3 व्यक्तियों की उपस्थिति में घटित बताई गई है तथा अभियुक्त/अपीलकर्ता की चिकित्सालय के आसपास निरंतर आवागमन एवं भीड़-भाड़ बनी रहती थी, ऐसी स्थिति में घटना-स्थल पर इस प्रकार की कोई घटना घटित होना संभव प्रतीत नहीं होता। साक्ष्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि कुछ स्थानीय व्यक्ति अभियुक्त/अपीलकर्ता की प्रगति से असंतुष्ट थे, क्योंकि उसकी चिकित्सकीय प्रैक्टिस अत्यंत अच्छी चल रही थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता को किसी प्रकरण में फँसाने की योजना बनाई, जिसके लिए अभियोक्त्री एवं उसके पति को उनके द्वारा साधन बनाया गया तथा उसी के परिणामस्वरूप यह शिक़ायत दर्ज कराई गई। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस न्यायालय के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराना सुरक्षित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**10.** निष्कर्षतः, यह अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 22.03.1995 का आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा उपस्ता किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अभियुक्त/अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर है, अतः उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है ।

**सही / -**

**प्रितिंकर दिवाकर**

**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Adv. Vivek Mishra.....**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur